न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 292/2026
दया शंकर दूबे
बनाम
बिहार सरकार

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री श्रीमन नारायण ओझा।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता.....श्री केदारनाथ तिवारी, लोक अभियोजक।

दिनांक– 24.03.2026
कृष्णा ब्रहम थाना कांड संख्या 29/2026
अन्तर्गत धारा– 420,467,468, 120(बी) भा0 द0 वि0-

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त दया शंकर दूबे की ओर से दाखिल किया अग्रिम जमानत को सुना गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कहना है कि आवेदक निर्दोष है तथा इस मुकदमें गलत एवं झूठा फंसाया गया है। आवेदक इससे पहले कोई अग्रिम जमानत आवेदन न तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अतः आवेदकगण द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक देवीलाल श्रीवास्तव पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना का सूचना में कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा जनहित याचिका संख्या 15459/14 में पारित आदेश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय पटना द्वारा निगरानी जांच संख्या बी.एस 08/15 पंजीकृत करते हुए दिनांक 22.05.2015 से वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु जिलावर प्रमंडलवार जांच पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी। उक्त आदेश के आलोक में बक्सर जिला का शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक पत्रों की जांच करने हेतु सूचक को जांच पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति किया गया। नियोजित जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक दयाशंकर दुबे आवेदक का स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित आवेदन के साथ प्राप्त कराये गये बी.एड. का अंक प्रमाण पत्र रौल नंबर 263918 पंजियन संख्या बी.यू.09/00512 वर्ष–2014 प्राप्तांक 718 को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी सत्यापन हेतु भेजा गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का पत्रांक BU/CONF/2024/3039 दिनांक 21.02.2024 प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि विश्वविद्यालय के गोपनीय अभिलेखानुसार अंकपत्र फर्जी **(FAKE)** है। नियोजित जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक आवेदक दया शंकर दुबे द्वारा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलिभगत कर उक्त अंक पत्र की कूटरचना कर कूटरचित अंक पत्र को असली के रूप में प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षडयंत्र के तहत नाजायज लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से अवैध रूप से नियोजन प्राप्त किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी को देखने से पता चलता है कि आवेदक पर फर्जी अंकपत्र का प्रयोग कर धोखाधड़ी से आपराधिक षडयंत्र के तहत नाजायज लाभ प्राप्त करने का इलजाम है। कांड दैनिकी के पैरा 16 में

साक्षी संतोष कुमार ओझा , पैरा 17 में साक्षी नमिता सिंह , पैरा 18 में साक्षी आलोक कुमार भास्कर ने घटना का समर्थन किया है। आवेदक के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में धारा 467 भा0द0वि0 अंकित है जिसमें उम्रकैद तक की सजा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धित)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

बक्सर।